न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक 05.03.2025

दावा संख्या 05 / 25

भानूकुमार पुत्र चेतनप्रकाश उम्र 55 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी शाहाबाद तहसील शाहाबाद जिला बारां

वादी

बनाम

1–केसरी पुत्र लक्ष्मण जाति सहरिया निवासी शुभघरा तह0 शाहावाद जिला बारां राज0

2–उदा पुत्र खैरू जाति सहरिया निवासी शुभघरा तह0 शाहावाद जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय–दिनांक 13.08.2025

उपस्थित–

वादी की ओर से – श्री धीरेन्द्र कुमार एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से – एकपक्षीय

वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम शुभघरा पटवार हल्का शुभघरा तहसील शाहावाद में वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 128 / 1 रकबा 5.00 बीघा स्थित है, जिसमें वादी के अलावा अन्य किसी का कोई हकाधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ग्राम शुभघरा के प्रभावशाली व्यक्ति है, जिन्होने वादी के खाते की उक्त भूमिप र बिना किसी अधिकार के अवैधानिक कब्जा कर लिया है। जब वादी ने उन्हे रोका व मना किया तो प्रतिवादीगण कहने लगे कि तुम अपनी जमीन की पेमाईश करा लो, यदि पेमाईश से तुम्हारी जमीन निकली तो हम छोड देंगे। दिनांक 19.06.2022 को वादी ने पेमाईश करा ली है। वादी ने कई बार शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार प्रतिवादीगण वादी के खाते की भूमि पर अवैधानिक कब्जा बनाये हुये हैं। प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः वादी के खाते व कब्जा काश्त की आराजी ख0नं0 128 / 1 रकबा 5.00 बीघा ग्राम शुभघरा तहसील शाहाबाद से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को संभलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावें कि वे वादी के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्व बावजूद सूच[illegible] एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विरूद्व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने [illegible]ीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी की ओर से साक्ष्य में [illegible] और नकल मौका रिपोर्ट को प्रदर्श 1 तथा जमा[illegible] खाता संख्या 104 को प्रदर्श 2 के रूप में प्रदर्श कराया गया।

[illegible] वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 2 जमाबंदी से विवादित आराजी ख0नं0 128 / 1 रकबा 5.00 बीघा ग्राम शुभघरा तहसील शाहाबाद वादी के खातेदारी की होना प्रमाणित है। मौका रिपोर्ट प्रदर्श

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.18 13:01:15 IST
Reason: SelfAttested

13/08

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

अनुसार दिनांक 19.06.2022 को हल्का पटवारी द्वारा वादी को सीमाज्ञान कराया गया है। वादी का कथन है कि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा कर लिया है। प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि पर कब्जा कब किया है, इस बारे में दावे में स्पष्ट अभिवचन नहीं है। इसके अलावा वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे प्रमाणित होता हो कि वादी की विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। परन्तु प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से दावे में अंकित तथ्यों का कोई खण्डन नहीं हुआ है, और दावे में अंकित तथ्य अखण्डनीय है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी के खाते की विवादित आराजी ख0नं0 128/1 रकबा 5.00 बीघा ग्राम शुभघरा तहसील शाहाबाद पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता है और प्रतिवीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

13/08/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.18 13:01:15 IST
Reason: SelfAttested